ISSN No. : 2394-0344 **REMARKING :** VOL-1 * ISSUE-5*October-2014

ग्रामीण विकास में ई–शासन की भूमिका

Dear Author,
Please provide **ABSTRACT**, **KEY WORDS and REFERENCES must be in MLA pattern**, for this paper with the proof urgently otherwise your paper may be transfer for next issues untill above are recieved.

देवेन्द्र नारायण पाण्डेय
शोध छात्र
भूगोल विभाग,
एम0डी0पी0जी0 कालेज
प्रतापगढ़,उ0प्र0

सारांश

मुख्य शब्द : Please Add Some Keywords

प्रस्तावना

ई–शासन आधुनिक युग में प्रशासकीय और राजनैतिक सूचना तंत्र प्रशासन को लोगों के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ई–शासन के प्रयास से ग्रामीण प्रशासन बेहतर हुआ है। देश के अनेक भागों में ई–प्रशासन के जरिये लोगों के प्रश्नों के उत्तर ढूढ़े जा रहे है। एक ओर जहां सूचना का विस्तार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ वहीं प्रषासन की यह विधि सूचना संचार प्रौद्योगिकी का लाभार्थियों और सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही किसी भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था व प्रशासन के कार्यो में जवाबदेही व पारदर्शिता की अपेक्षा जनसमुदाय के द्वारा की जाती है इसी कारण लोकतंत्र में सरकार की नीतियों एवं उनके लेखा–जोखा में खुलेपन की मांग से दबाव बढ़े है। सूचना का अधिकार इसी कड़ी का एक अंग है।

सामान्यतः यह अंग्रेजी के 'गुड गवर्नेस' शब्द के हिन्दी रूपान्तर में प्रयुक्त होता है। यह शब्द वर्तमान लोकतंत्र के साथ सही बैठता है। हम जिस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते है वह तो महात्मा गाँधी के आदर्श उद्बोधन 'भारत गाँवों में बसता है' इसी आधार पर भारत निर्माण की व्यवस्था की जाती है। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य सिमटती दुनियां का एक प्रमुख कारक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की बढ़ती भूमिका है। देश में सूचना क्रान्ति से ग्रामीण जनजीवन में बदलाव आया है। अब ग्रामीण महिलाएं भी घर की चहरदीवारी एवं घूंघट से बाहर आकर समाज को एक दिशा दे रहीं है। कम्प्यूटर और मोबाइल का उपयोग करने लगी है। इसमें ई–शासन ने रही–सही प्रथा को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ई–शासन व्यवस्था लागू होने से ग्रामीण प्रशासन ससक्त हुआ है।

ग्राम पंचायत प्रशासन जहां सबूत पेश कर ग्रामीणों का विश्वास जीत रहा है वहीं अविश्वास की स्थिति में ग्रामीण ग्राम पंचायत की हर गतिविधि को जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। तमाम सरपंचों को कहना है कि ई–शासन व्यवस्था ने उनकी प्रशासनिक क्षमता पर निखार लाने का काम किया है। ग्राम पंचायत स्तर की सभी सुविधाये ग्रामीणों को तुरत मिल पा रहीं है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपयोग करके कई राज्यों के राशन की छीतज को रोका गया है। ई–शासन से जहां आम जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो पा रहा है वहीं ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को भी नई दिशा मिला है।

इससे ग्रामीण विकास को एक नया आधार मिला है वहीं ग्रामीणों को शासन–प्रशासन की ओर से चलायी जा रहीं विभिन्न योजनाओं के बारे में त्वरित जानकारी मिल सकी है। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य का (नछकच) ने ई–प्रशासन को परिभाषित किया था कि, ''ई–प्रशासन ऐसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का नाम है जिसका उद्देश्य सूचना और सेवा वितरण में सुधार लाना, निर्णय करने की प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना और सरकार को अधिक जबाबदेह, पारदर्शी और सक्षम बनाना है।'' देश में ग्रामीण जनसमुदाय भारतीय समाज का केन्द्र बिन्दु है और यही वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व करता है। 2011 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार

भारत में 6,38,387 गाँव है जो कुल जनसंख्या के 72 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते है। भागीदारी पूर्व लोकतांत्रिक समाज में आई.सी.टी. यानि सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बेहतर प्रशासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और नागरिक सशक्तीकरण के लिए किया जा सकता है। ई–शासन से नागरिकों और सरकार के बीच बेहतर सम्पर्क कायम होता है और शासन में इनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है यह सरकारी निति निर्माण में महिलाओं की प्रत्यन्त भागीदारी के आयाम खोलने के अवसर प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है जहां लोग विभिन्न समेकित विकास कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने से वंचित है।

ई–प्रशासन सरकार के स्वामित्व अथवा सरकार द्वारा प्रचलित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीयों की प्रणालियों का नाम है जो नागरिकों, निजी क्षेत्रों और अन्य सरकारी एजेंसीयों के साथ संबधों को रूपांतरित करती है, ताकि नागरिक अधिकारिता प्रोत्साहित करने, सेवा वितरण में सुधार लाने जवाबदेही सुदृढ करने, पारदर्शिता बढ़ाने अथवा प्रशासन की सक्षमता में सुधार लाने जैसे लक्ष्य हासिल किये जा सके। इस प्रणाली का उद्देश्य जिला ग्रामीण विकास ऐजंसी (डी0आरडी0ए) को ऐसी सुविधा प्रदान करना है, जिससे वह कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के जरिये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रख सकें।

अभी तक क्रिस्प अनुप्रयोग साफ्टवेयर पैकजों के चार संस्करण विकसित किये जा चुके है। चौथे संस्करण को रूरल साफ्ट 2000 नया नाम दिया गया है। ग्रामीण सूचना प्रयास, भारत में ई–प्रशासन की शुरूआत की ओर इंगित करते है। ऐसा प्रारम्भिक प्रयास रूरल साफ्ट 2000 के रूप में किया गया था। साफ्ट इसके माध्यम से केन्द्र और राज्यों के स्तर पर निगरानी, एजेंसीयों के डेस्कटाप से आनलाइन निगरानी प्रक्रिया संभव हो पाती है और आम आदमी साफ्टवेयर द्वारा प्रदान किये गये ब्राउजर आधारित इण्टरफेस का इस्तेमाल करके सूचना तक पहुच कायम करने में सक्षम हो जाता है। परेशानी रहित नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समाज के अंतिम तबके तक सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के लाभ पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने 90 के दशक के अन्त में देश में ई–शासन योजना का शुभारम्भ किया उसके बाद केन्द्र सरकार ने भारत में ई–शासन पहल को बढ़ावा देने के लिए राश्ट्रीय ई–शासन योजना को 18 मई 2006 को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं और 8 भाग है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग में राष्ट्रीय ई–शासन योजना का खाका तैयार किया। इस तरह अव ई–शासन के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य रूप से करीब 30 सूत्रीय कार्यक्रमों को जोड़ा गया इसके अलावा 150 अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी गयी है कि वे 30 सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखें और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करें।

इस प्रमुख 30 सूत्री कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत प्रशासन, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य पालन, सामाजिक कार्य, चुनाव, लघु उद्योग हाउसिंग, सड़क निर्माण, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मजदूर कल्याण, लोक कल्याण आदि को शामिल किया गया है। इस तरह ग्राम पंचायते ई–शासन के जरिये अपनी प्रशासनिक क्षमता का विकास कर रहीं है। भारतीय संविधान की धारा 243 जी के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संवधित योजनाओं की तैयारी के लिए कार्य करना है।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी ने सुशासन के सत्य को उजागर करते हुए राजनितिज्ञों तथा अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि दिल्ली से जारी किये गये एक रूपये में से 15 पैसे ही गाँवों तक पहुँचते है शेश राशि बीच में ही गायब हो जाती है। निश्चित रूप से इसमें पैसे का रिश्ता मंत्रालय से पंचायत तक होता है स्व0 राजीव गाँधी ने जब संचार क्रांति का खाका तैयार किया था तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जब तक ग्रामीण पूरी तरह से वाकिफ नहीं होगें तब तक न तो पंचायती राज की अवधारणा पूरी होगी और न ही संचार क्रांति का वास्तविक सपना पूरा हो सकेगा।

विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार के नाम पर करोड़ों रूपये खर्च किये जाते है इसके बाद भी ग्रामीणों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। शहरो के साथ ही ग्रामीण इलाके में भी कम्प्यूटर आ गया है। खबर, सोशल नेटवर्किंग, चिकित्सा, मनोरंजन, ई–मेल और शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही अब इसके जरिये हम बिजली, पानी का बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, टिकट आदि का बिल जमा कर रहें है। कृषि संबधी उत्पादन की जानकारी भी ले रहे है। संविधान की 11 वीं अनुसूची में शामिल मुद्दों को लागू करने की भी जिम्मेदारी है इसके अलावा अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर कर लगाने और इन्हें वसूलने की जिम्मेदारी पंचायतों की है।

ग्राम पंचायतें सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं को लागू करने की एक नोडल एंजेसी बन गयी है। इन ग्राम पंचायतों के जरिये ही केन्द्र सरकार की ओर से चलायी जा रही महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा), सर्व श्क्षिा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना (मिड डे मील), एकीकृत बाल विकास योजना (आई सी डी0 एस0) सहित तमाम योजनाओं का संचालन करना है। ऐसे में पंचायतों को ई–शासन का अंग बनना जरूरी है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ है और कृषि से जुड़ी 72 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई है। भारतीय किसान को कच्चा माल खरीदने की प्रक्रिया से लेकर अपनी पैदावार को बेचने तक अनेक एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे उत्पादन की लागत बढ़ती जाती है कुछ एजेंट बाजार की जानकारी को अवरूद्ध करने का प्रयास भी करते है किसानों को ऐसी पद्यतियों से संरक्षित करने के लिए ई–प्रशासन प्रयास के रूप में ई–चौपाल का विकास किया। ई–चौपाल न केवल कृषि उत्पादों के लिए उपयोगी है बल्कि कुछ उपकरणों और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में सहायक है। आज देशभर में 6500 ई–चौपालें काम कर रहीं है। सरकार की यह मन्शा है कि केन्द्र की ओर से जो भी योजनाएं चलायी जाए वह सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर पहुँचे। ग्राम पंचायत को सरकार से जुड़ने में कोई दिक्कत न आये। इसलिए हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। ऐसे ग्राम

पंचायतों को हाईटेक बनाने और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ई–गवर्नेस की व्यवस्था का महत्व बढ़ गया है।

ऐसे में ई–शासन के जरिये विभिन्न योजनाओं को आम जन तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। ई–शासन की व्यवस्था लागू होने से हर व्यक्ति बिना किसी अड़चन के सरकार योजनाओं के बारे में जान पा रहा है और योजनाओं का लाभ भी हासिल कर रहा है। आज भारत का हर राज्य में ई–शासन को पूरी तरह लागू करने की कोशिश चल रही है। जिन स्थानों पर ई–शासन की व्यवस्था लागू हो चुकी है, वहां इसके परिणाम भी दिखने लगे है।

विभिन्न राज्यों में ई–प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए चार समितियों का गठन किया गया है– ई–प्रशासन परिशद्, राज्य स्तरीय समिति, ई–प्रशासन परियोजना लक्ष्य दल एवं राज्य स्तरीय ई–प्रशासन लक्ष्य दल। यह व्यवस्था देश के करीब करीब हर राज्यों में लागू की गयी है। जिन राज्यों में ई–शासन व्यवस्था को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने में तेजी दिखाई है उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है।

जैसा कि गत दिनों राजस्थान सरकार के ई–प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ई–प्रशासन के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ स्टाल एवं ई–संसार के रूप में सम्मिलित किया गया है। यही वजह है कि इसकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने ई–शासन का प्रावधान किया। वास्तव में जवाबदेह पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जनता को सूचना संचार तकनीकी आधारित सेवाएं उपलब्ध कराना भी केन्द्र सरकार का प्रमुख एक लक्ष्य है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर जिलों में ई–मित्र परियोजना लागू कर दी गयी है स्वास्थ्य मित्र परियोजना के अन्तर्गत सहभागिता के माध्यम से साकार किया जा रहा है। ज्यादातर राज्यों के महाविद्यालय तथा जिला चिकित्सालय और संभागीय मुख्यालयों को भी ई–शासन व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।

ई–शासन व्यवस्था होने से ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार की जानकारी मिल सकेगी। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भवन में बैठकर यह तय कर सकते है कि किस विभाग में और किस पद के लिए भर्ती निकली है ऐसे में वे अपनी ग्राम पंचायत के बेरोजगारों को संबधित पद के लिए आवेदन भरने और उन्हें प्रोत्साहित कर सकेंगे। ऐसे में एक तरफ जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा वहीं ग्राम पंचायत की छवि जनता के बीच बेहतर बनती है। ग्राम पंचायत स्तर पर अक्सर भूमि विभाग के मामले सामने आते रहते है। ई–शासन व्यवस्था होने से विवाद की स्थिति से अवगत कराकर ग्राम पंचायत प्रशासन विवाद का समाधान कर सकता है क्योंकि ई–शासन की व्यवस्था होने से किसानों के खेती संबधी सभी रिकार्ड कम्प्यूटराइज्ड कर दिये गये है। ऐसे में विवाद की स्थिति से उनका त्वरित निस्तारण किया ज सकता है।

ग्राम पंचायत प्रषासन के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है विभिन्न सम्पत्तियों की रक्षा करना। इसमें सरकारी सम्पत्ति तो होती ही है साथ ही ग्राम पंचायता में रहने वाले हर व्यक्ति की सम्पत्ति की रक्षा करना और सम्पत्ति सम्बंधी विवादों का निस्तारण करना भी पंचायत प्रषासन की नैतिक जिम्मेदार होती है। ई–प्रशासन व्यवस्था लागू होने से इस समस्या के समाधान में काफी सहायोग मिला है। चूकि सम्पत्ति खरीदने पर संवधित प्राधिकरण में पंजीकृत कराना होता है, जिसके जरिये कानूनी स्वामित्व का हक मिलता है।

लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे, पूरे महीने सेवाओं की उपलब्धता रहे, बोगस व दोहरे कार्ड पर रोक तथा खाद्य सामग्री रिसाव रोक में ई–शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने ई–शासन का उपयोग करके कई राज्यों में राशन की बर्बादी को रोका गया है। इसके लिए चेन्नई में राशन की दुकानों में सीसी टीवी कैमरे लगाये है। मध्य प्रदेश में बायोमैट्रिक राशन कार्ड डाटावेस तैयार किया जा रहा है। तमिलनाडु में राशन कार्ड के लिए आनलाइन आवेदन किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में राशन कार्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा यह सब ई–प्रशासन की सफलता एवं भ्रष्टाचार पर नकेल लगाकर भारत निर्माण की स्वर्णिम गाथा को चिरतार्थ कर रहा है।

आधुनिक समाज में ई–शासन ने एक नवीन महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका ग्रहण कर ली है। मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह इन साधनों द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्यों और व्यवहार और प्रकारों को आत्मसात कर लेता है। कोई भी समाज व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं होती है तथा उसके पास हर सामाजिक प्रश्न और समस्या का उत्तर भी नहीं होता है। सामाजिक और मानसिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन नवीन प्रश्नों व समस्याओं का जन्म देते रहते है, जिनका समाधान परम्परा की परिधि से प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है जब सामाजिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों के विषय में नये सिरे से न्यूनतम सामाजिक सहमति विकसित करनी होती है। भारत में ग्राम पंचायत के माध्यम से निस्तारित की जा रही ई– शासन सम्बंधी समस्त योजनाएं एवं कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण को पुष्ट करते है।

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के माध्यम से ई–कामर्स, ई–शासन, ई–हस्ताक्षर तथा ई–व्यापार इत्यादि को वैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। भारत में सन् 2001 को ई–शासन वर्ष के रूप में भी मनाया जा चुका है। बहुत से राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक,तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात में इस क्षेत्र में तेजी से उल्लेखनीय प्रगति हुई है मध्य प्रदेश के धार जिले में जनवरी 2000 से संचालित हुई ज्ञानदूत परियोजना के माध्यम से सर्वप्रथम 31 गाँवों को इण्टरनेट से जोड़कर मण्डी, व्यापार, भू–पट्टे, रिकार्ड नकल, वैवाहिक सूचनाएं ई–मेल जन शिकायत निवारण तथा समस्या समाधान इत्यादि प्रशासनिक कार्य सफलतापूर्वक निश्पादित हुए है कर्नाटक की भूमि रिकार्ड कम्प्यूटरीकरण का भूमि कार्यक्रम Friends आन्ध्र प्रदेश में अन्त्यज Govt., तथा ई–सेवा, हरियाणा का दिशा रेलवे का क्रिस, कर्नाटक का बंगलौर वन तथा चण्डीगढ़ का ई–सम्पर्क ऐसे ही चर्चित प्रयास है।

नवीन सहस्त्राणि के आरम्भ, समानता पर आधारित समाज की रचना, अधीनता उन्मूलन तथा सभी नगरिकों पर उन्नत जीवन स्तर के लक्ष्यों की प्राप्ति हुई ई–शासन स्वयं एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो गया ई–शासन व प्रशासन के माध्यम से ई–लोकतंत्र की स्थापना हेतु उत्तम एवं जवाबदेह प्रशासन एवं नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागी

बनाकर निर्धनता उन्मूलन एवं नागरिकों के जीवन स्तर की उन्नति हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

सन्दर्भ सूची

1. सुवम सिंह ग्रामीण विकास के नये क्षितिज
2. विकास संदर्शिका ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (1 जायज जयपुर)
3. कुरूक्षेत्र 2011
4. योजना 215
5. बसंती लाल वावेल, ग्रामीण विकास योजनाए